



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112024-258573
CG-DL-E-11112024-258573

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 636]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 11, 2024/कार्तिक 20, 1946

No. 636]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 11, 2024/KARTIKA 20, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2024

सं. 24/2024- सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 695(अ).—जब कि चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य और थाईलैंड (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित 'एपिक्लोरोहाइड्रिन' (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वास्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची की टैरिफ मद 2910 30 00 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने प्रारम्भिक निष्कर्षों में अधिसूचना संख्या 6/15/2023-डीजीटीआर, दिनांक 14 अगस्त, 2024, जिसे दिनांक 14 अगस्त, 2024 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में अन्य बातों के साथ-साथ निष्कर्ष दिया है कि—

- (i) विषयगत वस्तु भारत को इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात किया गया है जिसके कारण डंपिंग हुई है;

(ii) विषयगत वस्तु की डंपिंग ने भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना को भौतिक रूप से बाधित किया है;

(iii) आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य के स्तर से नीचे है और घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रही है,

और घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उनका आकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात्, एतद्वारा, विषयगत वस्तुओं पर, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उस टैरिफ मद के अंतर्गत आती है, जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, और कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, उक्त सारणी के कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप की इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा—

सारणी

क्रम.सं.	टैरिफ मद	माल का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2910 30 00	एपिक्लोरोहाइड्रिन	थाईलैंड	थाईलैंड	एजीसी विनीथाई पब्लिक कंपनी लिमिटेड (एवीटी) (पूर्व में एडवांस्ड बायोकेमिकल्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)	298	मीट्रिक टन	यूएसडी
2	-वही-	-वही-	थाईलैंड	थाईलैंड सहित कोई भी देश	(1) के अलावा कोई भी उत्पादक	327	मीट्रिक टन	यूएसडी
3	-वही-	-वही-	थाईलैंड, चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य के अलावा कोई भी देश	थाईलैंड	कोई	327	मीट्रिक टन	यूएसडी
4	-वही-	-वही-	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	हनव्हा सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन	274	मीट्रिक टन	यूएसडी
5	-वही-	-वही-	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	लोटे फाइन केमिकल कंपनी लिमिटेड	506	मीट्रिक टन	यूएसडी

6	-वही-	-वही-	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई भी देश	(4) एवं (5) के अलावा कोई भी उत्पादक	557	मीट्रिक टन	यूएसडी
7	-वही-	-वही-	थाईलैंड, चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य के अलावा कोई भी देश	कोरिया गणराज्य	कोई	557	मीट्रिक टन	यूएसडी
8	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	जियांगसू रूईज़ियांग केमिकल कंपनी लिमिटेड	108	मीट्रिक टन	यूएसडी
9	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	निंगबो हुआनयांग न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड	शून्य	मीट्रिक टन	यूएसडी
10	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	(8) एवं (9) के अलावा कोई भी उत्पादक	216	मीट्रिक टन	यूएसडी
11	-वही-	-वही-	थाईलैंड, चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य के अलावा कोई भी देश	चीन जन.गण.	कोई	216	मीट्रिक टन	यूएसडी

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपादन शुल्क इस अधिसूचना के राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) के लिए लगाया जाएगा और यह भारतीय मुद्रा में देय होगा।

स्पष्टीकरण.—इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु ऐसे प्रतिपादन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई है और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुतिकरण की तारीख होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी -190354/165/2024-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

अम्रीता टाइम्स, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2024

No. 24/2024-Customs (ADD)

G.S.R. 695(E).—Whereas, in the matter of “Epichlorohydrin” (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff item 2910 30 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from China PR, Korea RP and Thailand (hereinafter referred to as the subject countries) and imported into India, the designated authority in its final findings *vide* notification F. No. 6/15/2023-DGTR, dated the 14th August, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 14th August, 2024, has, *inter alia*, come to the conclusion that—

- (i) the subject goods have been exported to India at a price below normal value, thus resulting in dumping;
- (ii) the dumping of the subject goods has materially retarded the establishment of domestic industry in India;
- (iii) the landed price of imports is below the level of selling price of the domestic industry and is undercutting the prices of the domestic industry,

and has recommended imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from the subject countries and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely :-

TABLE

Sl. No.	Tariff item	Description	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2910 30 00	Epichlorohydrin	Thailand	Thailand	AGC Vinythai Public Company Limited (AVT) (Formerly known as Advanced Biochemicals (Thailand) Co., Ltd.)	298	MT	USD
2	-do-	-do-	Thailand	Any country, including Thailand	Any producer other than (1)	327	MT	USD
3	-do-	-do-	Any country other than Thailand, China PR and Korea RP	Thailand	Any	327	MT	USD

4	-do-	-do-	Korea RP	Korea RP	Hanwha Solutions Corporation	274	MT	USD
5	-do-	-do-	Korea RP	Korea RP	Lotte Fine Chemical Co. Ltd.	506	MT	USD
6	-do-	-do-	Korea RP	Any country, including Korea RP	Any producer other than (4) and (5)	557	MT	USD
7	-do-	-do-	Any country other than Thailand, China PR and Korea RP	Korea RP	Any	557	MT	USD
8	-do-	-do-	China PR	China PR	Jiangsu Ruixiang Chemical Co., Ltd	108	MT	USD
9	-do-	-do-	China PR	China PR	Ningbo Huanyang New Material Co., Ltd.	Nil	MT	USD
10	-do-	-do-	China PR	Any country, including China PR	Any producer other than (8) and (9)	216	MT	USD
11	-do-	-do-	Any country other than Thailand, China PR and Korea RP	China PR	Any	216	MT	USD

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation.-For the purposes of this notification, the rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F. No. CBIC-190354/165/2024-TRU Section-CBEC]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.